रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 787] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2005/श्रावण 5, 1927
No. 787] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2005/SRAVANA 5, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2005

का.आ. 1060(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि इसके अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर "निर्माण प्रचालन और अन्तरण के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के नागपुर, इदलावाद सड़क सेक्शन के 113/800 किलोमीटर पर मुख्य पुल और इसके पिंगलई नदी पार के पहुंच मार्ग के संनिर्माण" के उपयोग के लिए और मैसर्स वी.एच.सी.पी.एल.-ए.डी.सी.सी. पिंगलई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 407, मधुमाधव टावर, लक्ष्मीभुवन स्क्वेयर, धर्मपेठ, नागपुर-440010 है, के साथ तारीख 14 मई, 2004 को के रियायती करार को ध्यान में रखते हुए "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के नागपुर इदलावाद सड़क सेक्शन पर 113/800 किमी पर मुख्य पुल और इसके पिंगलई नदी पार के पहुंच मार्ग के संनिर्माण" का निर्माण, प्रचालन और अन्तरण करने के लिए उक्त मैसर्स वी.एच.सी.पी. एल.-ए.डी.सी.सी. पिंगलई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए या इसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को इस अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से 22 फरवरी 2017 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर यांत्रिकी यानों पर फीस का सग्रहण और प्रतिधारण के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

(राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के नागपुर इदलावाद सड़क सेक्शन पर 113/800 किमी पर मुख्य पुल और इसके पिंगलई नदी पार के पहुंच के उपयोक्ताओं से वसूली की जाने वाली फीस की दरें)

वर्ष	अवधि	फीस दर (प्रति यान प्रति फेरा रु. में)		
		मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य कोई दुपहिया, यांत्रिक रूप से नोदित यान	मोटर कार, टैक्सी, जीप, पिक अप वैन, स्टेशन वैगन, ट्रैक्टर जिसमें ट्रैक्टर ट्रैलर, टैंपो सम्मिलित हैं	माल या सवारियों से लदे हुए या बिना लदे हुए बस, ट्रक, ट्रक ट्रेलर लदे हुए या बिना लदे हुए, मोबाइल क्रेन, डोजर्स, अर्थ मूवर और रोड रोलर और अन्य यान
1	2	3	4	5
पहले से तीसरा वर्ष	राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 9-6-2008	शून्य	10.00	30.00
चौथे वर्ष से आगे	10-6-2008 से 22-2-2017	शून्य	10.00	35.00

टिप्पण:-

2. निर्माण, प्रचालन और अन्तरण के आधार पर (राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के नागपुर इदलावाद सड़क सेक्शन पर 113/800 किमी पर मुख्य पुल का संनिर्माण और इसके पिंगलई नदी पार के पहुंच के उपयोक्ताओं से एक तरफ के चक्कर के लिए फीस प्रभारित की जाएगी ।

3. जब किसी यान को निर्माण प्रचालन और अन्तरण के आधार पर (राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के नागपुर इदलावाद सड़क सेक्शन पर 113/800 किमी पर मुख्य पुल के संनिर्माण और इसके पिगलई नदी पार के पहुंच को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो तो उपयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में अनुसूची में एक बार के लिए दी गई दरों पर डेढ गुना फीस का संदाय करने का हकदार है। किसी यान का स्वामी एक बार के चक्कर की फीस का तीस गुणों के बराबर फीस का संदाय करके मासिक पास का हकदार भी होगा ।

4. अनुसूची में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट फीस से निम्न प्रकार के यानों को छूट प्राप्त हैं , अर्थात:-

(i) रक्षा यान ;
(ii) अति महत्वपूर्ण प्रतीकों वाले यान ;
(iii) पुलिस यान ;
(iv) अग्नि शमन यान ;
(v) एंबुलेंस ;
(vi) अन्त्येष्टि यान ;
(vii) डाक व तार विभाग के यान; और
(viii) ड्यूटी पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के यान ।
(IX) ट्रैक्टर जैसे कृषियान जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर और खाली ट्रेलर सहित ट्रैक्टर सम्मिलित है।
(X) ओटोरिक्शा, तिपहिया स्कूटर या ट्रेलर रहित ओटो चालित हल्के यान ।

5. शासकीय रुप से निम्नलिखित के यान अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात :-

(i) भारत के राष्ट्रपति ;
(ii) भारत के उपराष्ट्रपति ;
(iii) केन्द्रीय और राज्य मंत्री;
(iv) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनको केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो ;
(v) राज्यों के राज्यपाल ;
(vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल ;
(vii) केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या सभापति ;
(viii) स्थानीय निकायों के निर्वाचित कार्यकारी पार्षद ;
(ix) संसद द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सम्पूर्ण देश के संसद सदस्य,;
(x) राज्य के विधान समाओं/विधान परिषदों के सदस्य, राज्य विधान मंडल और राज्य विधान परिषदों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ;
(xi) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ;
(xii) सी डी(राजनयिक कारों) प्रतिक वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक, और

(xiii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र , वीर चक्र, और शौर्य चक्र के विजेता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार अधिप्रमाणित करने वाले पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ।

6. उपर उल्लिखित दरें टोल प्लाजा पर और निर्माण, प्रचालन और अन्तरण के आधार पर (राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के नागपुर इदलावाद सड़क सेक्शन पर 113/800 किमी पर मुख्य पुल और इसके पिंगलई नदी पार के पहुंच की और टोल प्लाजा के लगभग 200 मीटर आगे की दूरी पर भी आसान दृश्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा जिससे चालकों को संप्रदर्शन बोर्ड पढने में असानी हो और उन्हें अंग्रेजी, हिन्दी और उस क्षेत्र की अन्य क्षेत्रीय भाषा में , जिसमें पुल स्थित है , स्पष्ट रूप में लिखा या मुद्रित किया जाएगा ।

7. उक्त "मैसर्स बी. एच. सी. पी. एल-एडी सी सी पिंगलई इन्फ्रास्ट्रचर प्राइवेट लिमिटेड " या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि संदायकर्ता को फीस संग्रहण की रसीद देगे ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-6/12013/5/1997-डब्ल्यू (एमएएच)]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2005

S.O. 1060(E).— In exercise of the powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied, collected and retained fees on mechanical vehicles, for the use of the "Construction of the Major bridge and its approaches across Pingalai river at km. 113/800 on Nagpur Edlabad road Section of National Highway No. 6 on Build, Operate and Transfer basis " at the rates specified in the Schedule hereunder and having regard to the Concession Agreement dated the14th May, 2004 entered into with M/s VHCPL-ADCC PINGALAI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED having its registered office at 407, Madhu Madhav Tower, Lakshmibhuvan Square, Dharampeth, Nagpur- 440 010 to build, operate and transfer the "Construction of the Major bridge and its approaches across Pingalai river in Km. 113/800 on Nagpur Edlabad road Section of National Highway No. 6", and for service provided by it and hereby authorizes the said "M/s VHCPL-ADCC PINGALAI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED" or its auhorized legal representative to collect and retain the fees on mechanical vehicles at the rates specified in the said Schedule from the date of publication of this notification in the Official Gazette and until the 22nd February, 2017.

SCHEDULE

(Rates of fees to be recovered from users of the Major bridge and its approacnes across Pingalai river at km. 113/800 on Nagpur Edlabad road Section of National Highway No. 6)

Year	Duration	Toll Rates(Rs. per vehicle per trip)		
		Motorcycle, scooter or any other two-wheeler, mechanically propelled vehicle.	Motorcar, taxi, jeep, pick-up van, station wagon, tractor including tractor-trailers, tempo.	Bus, truck, truck trailer combination laden with goods or passengers or unladen, mobile crane, dozers, earth movers and road roller loaded or unloaded and other vehicles.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
From 1st to 3rd year	From the date of publication of this notification in the Official Gazette to 09.06.2008	NIL	10.00	30.00
From 4th onwards	10.06.2008 to 22.02.2017	NIL	10.00	35.00

NOTES:-

2. The fee set forth shall be charged to the users of the " Construction of the Major bridge and its approaches across Pingalai river at km. 113/800 on Nagpur-Edlabad road Section of National Highway No. 6 on Build, Operate and Transfer basis" for a one-way trip.

3. When a vehicle has to use the " Construction of the Major bridge and its approaches across Pingalai river at km. 113/800 on Nagpur Edlabad road Section of National Highway No. 6 on Build, Operate & Transfer basis" more than once in a day, the user shall at his option be entitled to do so on payment of one and half times the fee at the rates as given in the Schedule for one way trip in the first trip itself. A vehicle owner shall also be entitled to a monthly pass on payment of fee equal to thirty times the fee for one-way trip.

4. The following types of vehicles are exempted from the fee specified above in the Schedule, namely:-

(i) Defence vehicles;
(ii) Vehicles with VIP symbols;
(iii) Police vehicles;
(iv) Fire-fighting vehicles;
(v) Ambulances;
(vi) Funeral vans;
(vii) Posts and Telegraph Department vehicles;

(viii) Central Government and State Government vehicles on duty;
(ix) Agriculture vehicles like tractors including tractor trailer and tractor with empty trailer;
(x) Auto rikshaw, three wheeler scooter or auto driven light vehicles without trailer.

5. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:-

(i) President of India;
(ii) Vice-President of India;
(iii) Central and State Ministers;
(iv) Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislature having the status of Cabinet Ministers;
(v) Governors of States;
(vi) Lieutenant Governors of Union Territories;
(vii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures;
(viii) Executive Councillor of local elected bodies;
(ix) Members of Parliament of the entire country on production of ID Card issued by the Parliament;
(x) Members of Legislative Assemblies/Legislative Councils within the State on production of ID Card issued by the State Legislature and Legislative Council;
(xi) Foreign dignitaries on State visit to India;
(xii) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD(Car Diplomatic) symbols; and
(xiii) Winners of the Gallantry Awards namely, Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra on production of ID Card authenticating the Award by the Competent Authority.

6. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed at the toll plazas and also at a distance of about 200 metres ahead of the toll plazas on either side of " Construction of the Major bridge and its approaches across Pingalai river at km. 113/800 on Nagpur-Edlabad road Section of National Highway No. 6 on Build, Operate & Transfer basis". The height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and they shall be legibly written or printed in English, Hindi and other regional language of the area in which the bridge is situated.

7. The said "M/s VHCPL-ADCC PINGALAI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED " or its authorized legal representatives shall give a receipt to the payer for the fee collected.

[F. No. RW/NH-6/12013/5/1997-W (MAH)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

2247 GI/2005-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.